

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी- चन्द्र शेखर भण्डारी (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :-140/2016 रे0वाद
अन्तर्गत धारा:- 53 आर0टी0एक्ट

अनवान

उनवान प्रकरण

1. किशनसिंह पिता गिरधारी सिंह जी राजपुत निवासी कोशीथल तहसील सहाडा जिला भीलवाडा (राज.)

वादी

बनाम

1. शत्रुघनसिंह पिता गिरधारीसिंह जी राजपुत निवासी कोशीथल तहसील सहाडा जिला भीलवाडा (राज.)
2. शाखा प्रबंधक,आई0सी0आई0सी0आई बैंक कोशीथल जिला भीलवाडा(राज.)
3. शाखा प्रबंधक,बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कोशीथल जिला भीलवाडा(राज.)
4. तहसीलदार सा0 सहाडा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाडा(राज.)

प्रतिवादीगण

—आदेश—

दिनांक :-11.09.2017

वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम अरनोटा पटवार हल्का कोशीथल तहसील सहाडा के बैरून हल्का आबादी में आराजी संख्या 2 रकबा 1.08 हे0 व आराजी संख्या 441 व रकबा 0.30हे0 व आराजी न0 542 रकबा 0.05हे0 व आराजी न0 545 रकबा 0.59हे0 व आराजी न0 548 रकबा 0.49हे0 कुल किता 5 रकबा 2.51 में वादी का हिस्सा 5/6 निहित है इसी प्रकार खाता संख्या 12 कि आराजी न0 1 रकबा 4.27 हे0 आराजी न05 रकबा 2.85 हे0आराजी न0 6 रकबा 1.20 हे0 आराजी न0 7 रकबा 1.44 हे0 आराजी न0 546 रकबा 0.98 हे0 आराजी न0 547 रकबा 0.70 हे0 कुल किता 6 कुल रकबा 16.44हे0 में वादी का 1/2 हिस्सा निहित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 इसके सह खातेदार है और अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है किन्तु भूमि संयुक्त खातेदारी में होने से भूमि को उपजाऊ बनाने ऋण लेने एवं लगान जमा कराने में अडचन आती है किन्तु प्रतिवादीगण बटवाड़ा कराये जाने से सहमत नहीं होने पर वाद प्रस्तुत करना पड़ा। इसलिए उक्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बॉण्ड्स के आधार पर विभाजन कराया जाकर वादी एवं प्रतिवादी गण का खाता संख्या 11 एवं खाता संख्या 12 में कब्जा एवं हिस्सा अनुसार स्वतंत्र खाता कायम कराया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत सम्मन जारी किये गये। पत्रावली का अवलोकन किया गया वकुलाय फरिकेन उपस्थित प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई उभय पक्ष विभाजन प्रस्ताव से पूर्णतया संतुष्ट है लिहाजा वादी का वादपत्र धारा 53 फर्द अहकाम दिनांक 11.09.2017 कि रोशनी में तहसीलदार सहाडा मुकाम गंगापुर के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को उभयपक्ष कि सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिशल किया गया बतौर अंतिम डिक्री जारी हौ आदेश संरे इजलास सुनाया गया मिशल फेशल सुमार हाकर दर्ज न0 से कम हो।

सिहायक क्लर्क
सहायक क्लर्क
(उपखण्ड अधिकारी)
पटवार उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला

—:आदेश:—

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट बहकवादी विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है और संयुक्त खातेदारी की आराजियात को खातेदारों में नियमानुसार विभाजन किया जाता है।

1. किशन सिंह पिता गिरधारी सिंह राजपुत सा0 कोशीथल रहन बी0आर0के0जी0बी शाखा कोशीथल ।

आ0नं0	रकबा
2	1.08
1/2	1.96
7/2	3.34
5/2	1.47
6/2	0.43
441	0.30
545	0.59
546	0.98
547/1	0.08
548/1	0.04
कुल किता 10	कुल रकबा 10.27 हे0

2. शत्रुघन सिंह पिता गिरधारी सिंह राजपुत सा0देह खातेदार आई0सी0आई0सी0आई बैंक कोशीथल ।

आ0नं0	रकबा
1/1	2.31
5/1	1.38
6/1	0.77
7/1	3.10
547/2	0.62
548/2	0.48
कुल किता 06	कुल रकबा 8.63 हे0

3. पुर्ववत शामलाती यथावत रहेंगे ।

आ0नं0	रकबा
542	0.05

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में पृथक्-पृथक् खाते कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा फरीकने अपना-अपना वहन करे। अंतिम डिक्री जारी हो आदेश आज दिनांक 11.09.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।



बो
(सहायक सहायक अधिकारी)
सहायक सहायक अधिकारी
न्यायालय, कोशीथल (राज.)

